जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा / अ.आ. / एल.पी.सी. / 10 / डी– 252 दिनांकः– 22-2-10

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 63 वी बैठक दिनांकः 22.02.10 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :–

क्र. सं	जो. नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		63:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 62वीं बैठक दिनांक 22.01.10 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन एवं 52वीं से 62वीं बैठकों में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा	**I. 62वीं बैठक दिनांक 22.01.10:–** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 62वीं बैठक दिनांक 22.01.10 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। **II. 52वीं बैठक दिनांक 1.6.09:–** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 52वीं बैठक दिनांक 1.6.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :– i. प्रस्ताव संख्या 52:6 श्री बंशीलाल व श्रीमति मिताक्षी मल्होत्रा को आवंटित भूमि के संबंध में उपायुक्त जोन 12 ने बताया कि बढे हुये क्षेत्रफल को आरक्षित दर की दुगुनी कीमत पर लेने के संबंध में सहमति प्रदान करने हेतु आवंटियों को पत्र जारी कर दिया गया है। किन्तु सहमति अथवा असहमति प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार को प्रकरण वास्ते स्वीकृति भिजवाया गया है। ii. प्रस्ताव संख्या 52:7(2) के संबन्ध में सूचना आयोग कार्यालय भवन हेतु प्रस्ताव की अनुपालना के क्रम में जोन उपायुक्त–1 ने अवगत कराया कि संस्थानिक क्षेत्र में विवादित भूखण्ड का कब्जा लिया जा चुका है। इसमें से परीक्षणोंपरान्त सूचना आयोग को आवंटन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने की कार्यवाही के निर्देश उपायुक्त जोन–1 को दिये गये। **III. 59वीं बैठक दिनांक 09.11.09:–** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 59वीं बैठक दिनांक 09.11.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :– i. प्रस्ताव सख्या 59:4 जविप्रा की पालडी मीणा योजना में बढे हुए क्षेत्रफल के आवंटन के संबंध में उक्त क्षेत्र नया जयपुर से प्रभावित होने के कारण उपायुक्त द्वारा राज्य सरकार से मार्ग दर्शन चाहा गया है। प्राप्त होने पर पालना रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की जावे।

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				ii. प्रस्ताव संख्या 59:8 के संबंध में रामनगरिया विस्तार योजना में आरक्षित कार्नर भूखण्डों को आवंटन की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाया गया है। उपायुक्त जोन 9 को निर्देशित किया गया कि वे प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करा समिति को अवगत करावें। **IV. 61वीं बैठक दिनांक 24.12.09:–** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 61वीं बैठक दिनांक 24.12.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :– i. प्रस्ताव संख्या 61:10 नारी चेतना समिति को वृद्धाश्रम हेतु भूमि आवंटन के संबंध में समिति की सचिव को सूचित किया जावे कि रामनगरिया व बिन्दायका में भूमि उपलब्ध कराई जा सकती है। अतः मौका निरीक्षण कर अपनी सहमति प्रदान करे। समिति की सचिव ने रामनगरिया योजना में 2000 वर्गमीटर भूखण्ड आवंटन करने की सहमति प्रदान की है। उपायुक्त जोन–9 उपयुक्त भूमि का चयन कर प्रस्ताव प्रस्तुत करें। ii. प्रस्ताव संख्या 61:11(1) नेशनल सोसायटी फॉर इंजिनियरिंग रिसर्च एण्ड डवलपमेन्ट जयपुर को सांईस टेक सिटी अचरोल में 30 एकड भूमि निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आवंटन करने की अभिशंषा उक्त क्षेत्र की आरक्षित दर तय करने के पश्चात राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाई जावे। iii. प्रस्ताव संख्या 61:11(3) इंस्टीट्यूट ऑफ इंजिनियरिंग एण्ड मेनेजमेन्ट ट्रस्ट कलकत्ता के संबंध में निर्णय लिया गया कि सांईस टेक सिटी अचरोल में 30 एकड भूमि निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आवंटन करने की अभिशंषा उक्त क्षेत्र की आरक्षित दर तय करने के पश्चात् राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाई जावे।
2.	7	63:2	चित्रकूट योजना के भूखण्ड संख्या 6/339 क्षेत्रफल 198 वर्गमीटर के स्थान पर भूखण्ड संख्या 6/294 क्षेत्रफल 198 वर्गमीटर विनिमय करने बाबत। प्रार्थीया श्रीमती मुक्ता कुल श्रेष्ठ।	समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रार्थीया को चित्रकूट योजना के भूखण्ड संख्या 6/339 क्षेत्रफल 198 वर्गमीटर के स्थान पर भूखण्ड संख्या 6/294 क्षेत्रफल 198 वर्गमीटर विनिमय किया जावे। भूखण्ड संख्या 6/339 जिसका क्षेत्रफल मौके पर 142.89 वर्गमीटर रह गया है उसे नीलाम किया जावे एवं कार्नर भूखण्ड संख्या 6/329 के भूखण्डधारी द्वारा 1.20 मीटर चौडाई में अधिक निर्माण कर अतिक्रमण किये गये क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया जावे अथवा इस भूभाग का स्वतंत्र उपयोग न होने के कारण भूखण्डधारी की सहमति प्राप्त कर आवंटन हेतु प्रस्ताव एलपीसी के समक्ष रखा जावे।
3.	6	63:3	पंखा काटा (झोटवाडा) कच्ची बस्ती के 4 गैर सर्वेधारियों को बक्शावाला में क्वाटर आवंटन हेतु।	प्रकरण को कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अतिरिक्त एजेण्डा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से:–				
4.	13	63:3(1)	श्री रमजान पुत्र मजीद खां को हरचन्दपुरा डेयरी योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या 48 के बदले दूसरा भूखण्ड आवंटित करने के संबंध में।	हरचन्दपुरा डेयरी योजना के भूखण्ड संख्या 269, 270 व 271 में से एक भूखण्ड समान माप का लॉटरी द्वारा आवंटन का निर्णय लिया गया।

आयुक्त महोदय ने निर्देशित किया कि राजकीय संस्थाओं के आवंटन संबंधी लम्बित प्रार्थना पत्रों में निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। संस्था प्रधान के लेटर हेड पर प्राप्त पत्र/प्रार्थना पत्र पर शीघ्र कार्यवाही की जाकर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जावे। जिन प्रकरणों में संस्थाओं से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र चाहे गये है अथवा अन्य दस्तावेज मांगे गये है, उनको एक अवसर और प्रदान किया जाकर सूचना प्राप्त की जावे। निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त न होने पर प्रकरण समाप्त किया जावे। पूर्व में जिन संस्थाओं को भूमि आवंटन की गई है उनके द्वारा आवंटन शर्तो की पालना बाबत प्रकरणवार रिपोर्ट आगामी बैठक से पूर्व सभी उपायुक्तगण प्रस्तुत करें। तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
अति० आयुक्त
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
3. जिला कलक्टर,. जयपुर
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
8. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
9. निदेशक(वित्त/अभि0/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
10. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर
11. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
12. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
13. जन सम्पर्क विशेषाधिकारी, जविप्रा, जयपुर
14. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
अति० आयुक्त
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 63वी बैठक दिनांक 22.02.10 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री सुधांश पंत, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्रीमति गायत्री राठौड, सचिव	सदस्य
3.	श्री भास्कर शर्मा निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री ओ.पी. दोराया निदेशक (अभियांत्रिकी)	सदस्य
5.	श्री एच.एस. संचेती, निदेशक (आयोजना)	सदस्य
6.	श्री शफी मोहम्मद कुरेशी, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व एवं एलपीसी)	सदस्य सचिव
7.	श्रीमती दुर्गा जोशी, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)	सदस्य
8.	श्रीमती शुचि शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	सदस्य
9.	श्री जाकिर हुसेन, अतिरिक्त निदेशक (राजस्व सम्पत्ति निस्तारण)	विशेष आमंत्रित
10.	श्री राकेश शर्मा, उपायुक्त जोन–6	विशेष आमंत्रित
11.	श्री ह्रदेश कुमार शर्मा, उपायुक्त जोन–7	विशेष आमंत्रित
12.	श्री पी0सी0 शर्मा उपायुक्त जोन–13	विशेष आमंत्रित
13.	श्री पी0 अरविन्द, एस.टी.पी. (एम.पी.)	विशेष आमंत्रित